दैनिक
# न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

**आवश्यक सूचना**

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, सोमवार 13 मार्च 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 194

## महत्वपूर्ण एवं खास

### आईएनएस सह्याद्री ने अरब सागर में फ्रांसीसी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस सह्याद्री ने अरब सागर में फ्रेंच नेवी (एफएन) के जहाजों एफएस डिक्समूड, एक मिस्ट्रल क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप और एफएस ला फयेट, एक लाफयेट क्लास फ्रिगेट के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास (एम पी एक्स) में भाग लिया। इस अभ्यास में समुद्र में विकास का एक व्यापक स्पेक्ट्रम देखा गया जिसमें क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग अभ्यास और सीमैनशिप विकास शामिल थे। अभ्यास के निर्बाध संचालन ने दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता और उच्च स्तर के सहयोग की पुष्टि की। आईएनएस सहयाद्री अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है, जो उसे हवा, सतह और उप-सतह के खतरों का पता लगाने और बेअसर करने में सक्षम बनाता है। यह जहाज (पूर्व) के परिचालन नियंत्रण के तहत, विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है।

### मध्य प्रदेश : एनआईए ने सिवनी से दो को हिरासत में लिया

**लखनऊ (आरएनएस)।** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मध्य प्रदेश से दो लोगों को हिरासत में लिया है, जो कथित तौर पर लोगों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे। एक सूत्र ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर अब्दुल अजीज और शोएब खान को हिरासत में लिया गया। सूत्र ने बताया कि मध्य प्रदेश के सिवनी में एक घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान, हार्ड डिस्क और आपत्तिजनक लिटरेचर बरामद किया गया है। कर्नाटक की घटना के संबंध में भी उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, जहां आईएस के तीन गुर्गों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जलाया गया था, जो शिवमोगा में एक बम विस्फोट के घटना में शामिल भी थे। सूत्र ने कहा, उनके कब्जे से बरामद लिटरेचर ने लोगों को लोकतंत्र के खिलाफ भडक़ाया। स्थानीय पुलिस ने छापेमारी में मदद की। मामले में आगे की जांच जारी है।

### तमिलनाडु में नवंबर 2022 के बाद कोविड से पहली मौत

**चेन्नई (आरएनएस)।** तमिलनाडु में नवंबर 2022 के बाद 11 मार्च को तिरुचि में पहली बार कोविड-19 से मौत दर्ज की गई। 27 वर्षीय व्यक्ति, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, की कोविड से संबंधित बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। चिंतामणि के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति, तिरुचि के मूल निवासी थे और बेंगलुरु में कार्यरत थे। तीन दिन पहले गोवा से अपने मूल स्थान पर पहुंचने के बाद तिरुचि में भर्ती कराया गया था। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक डॉ. ए. सुब्रमणि ने कहा, वह तीन दिन पहले गोवा से तिरुचि पहुंचे थे और बीमार पडऩे के बाद उन्हें तिरुचि के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर सुब्रमणि ने कहा कि उस आदमी में कोई कॉमरेडिटी नहीं दिखी और हमें यह संदिग्ध लगा। उन्होंने कहा कि मृतक से एकत्र किए गए नमूनों को राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है और परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है। मृतक चिंतामणि के परिवार के सदस्यों को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने खुद को अलग करने के लिए निर्देशित किया है।

### पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर केंद्र सख्त, पंजाब सरकार से मांगी कार्यवाई की रिपोर्ट

**चंडीगढ़(आरएनएस)।** पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्र ने पंजाब सरकार से इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। इस बारे में केंद्रीय गृह सचिव ने पंजाब के मुख्य सचिव से बात भी की है और कहा है कि पीएम की सुरक्षा चूक मामले में जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाए।

# महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी, राज्य सरकार नई-नई रोजगार मूलक योजनाएं कर रही है लागू - मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री ने किया 'विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला' का शुभारंभ
- ऑनलाइन शिकायतों के लिए बनाया गया मोबाइल एप, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने किया लॉन्च
- मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के माध्यम से लोगों को ऑन द स्पॉट नियमों की जानकारी के साथ मिल रहा है न्याय
- प्रकरणों के त्वरित निराकरण में सहयोग के लिए जिलों के कलेक्टर, एसपी, डीपीओ और प्रशिक्षक मुख्यमंत्री के हाथों हुए सम्मानित

**रायपुर (आरएनएस)।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित 'विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेजकुंवर नेताम भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला का छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं राज्यगीत के साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल का स्वागत राजकीय गमछे और औषधीय महत्व वाले सीता अशोक के पौधे से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला आयोग की स्मारिका एवं ऑनलाइन शिकायतों के लिए बनाए गए मोबाइल एप छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को महिलाओं को अधिकार सम्पन्न, सुरक्षित, सशक्त बनाने की शपथ दिलायी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि महिलाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे लोगों की कार्यकुशलता इस कार्यशाला से और अधिक निखरेगी। साथ ही बेहतर तालमेल और सहयोग से लक्ष्यों को और अधिक तेजी से हासिल किया जा सकेगा। इस कार्यशाला में जो मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे, वे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। मानव तस्करी, साइबर अपराध और कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ जैसे अत्यंत संवेदनशील विषयों पर यह कार्यशाला केंद्रित है।

मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि आज हो रहे अपराधों के पीछे गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता है। मानव तस्करी को रोकने में आर्थिक शैक्षणिक रूप से सरकार काम कर रही है, पुलिस अधिकारियों की सजगता से मानव तस्करी में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन इतना काफी नहीं है, मानव तस्करी होना ही नहीं चाहिए। साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में भोले-भाले लोग हैं, इसलिए जरूरी है कि इन्हें जागरूक किया जाए, हमारी सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने छोटी-छोटी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी संचालन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। इसके लिए सरकार नई-नई योजनाएं लागू कर रही है। कोरोना काल में लोगों को राहत देने के लिए चावल वितरण के साथ मनरेगा के कार्य प्रारंभ किए गए। लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम करने समूह के माध्यम से कार्ययोजना बनाई गई है। आज महिलाएं गौठानों में वर्मी कंपोस्ट,पेंट बनाने और साग सब्जी का उत्पादन कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही है। इसी तरह ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने रीपा की स्थापना की जा रही है। इससे पारंपरिक कार्यों के साथ नए कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। समाज को आगे और आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए विधिक जानकारी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान ने हमें अधिकार सम्पन्न बनाया है, शासन की कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए हैं, सभी को अपने अधिकार और दायित्वों की जानकारी हो यह जरूरी है, इसलिए राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का संचालन किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के माध्यम से लोगो को ऑन द स्पॉट नियमो की जानकारी के साथ न्याय भी दिलाया गया। महिला आयोग की कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है,जिससे प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जा सकेलोगो को जागरूक करने करने के लिए शॉर्ट फिल्मों के अतरिक्त विषय विशेषज्ञों के माध्यम से संभागस्तरीय प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

## बिहार में माहौल तनावपूर्ण, असामाजिक तत्वों ने दो मंदिरों में लगाई आग

**पटना (आरएनएस)।** बिहार के किशनगंज से बड़ी खबर है। असामाजिक तत्वों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जिले में 2 मंदिरों में आग लगा दी गई है। घटना को लेकर काफी तनाव है। अहले सुबह से ही प्रशासन और पुलिस की टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है। घटना विरोध में आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक मस्तान चौक के पास स्थित दो मंदिरों में आग लगाई गई। घटना सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई घटनास्थल पर जुटी भीड़ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। प्रशासन से जल्द से जल्द मंदिरों को ठीक कराने की मांग की जा रही है। घटना के विरोध में बहादुर गंज मुख्य सडक़ को लोगों ने जाम कर दिया। इस मामले में प्रशासन खामोश है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

रविवार की सुबह किशनगंज बहादुरगंज रोड में मस्तान चौक के समीप धार्मिक स्थल को नुकसान पहुचाने की घटना की जानकारी मिलते लोग आकोशित हो गए। धार्मिक स्थल में आग लगने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग इक_ा हो गए तथा विरोध में लोगो ने किशनगंज बहादुरगंज सडक़ को जाम कर दिया।

## शार्ट सर्किट से झोपड़ी में लगी आग, दंपती और 3 बच्चे जिंदा जले

**कानपुर (आरएनएस)।** कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के हारामऊ गांव में बंजारा बस्ती में बड़ा हादसा हो गया। यहां बीती रात एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में दंपती और उनके तीन मासूम बच्चों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आगे में दंपती की मां भी झुलस गई। घटनास्थल का डीएम और एसपी ने जायजा लिया।

डीएम ने मृतक परिवार को दैवीय आपदा के तहत मदद दिलवाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार, रूरा के हारामऊ बंजारन डेरा निवासी मजदूर सतीश (25) के परिवार में पत्नी काजल (22), बेटा सन्नी (7), संदीप (4) और बेटी गुडिय़ा (2) और मां रामश्री (49) है।

पूरा परिवार झोपड़ी में रह रहा था। शनिवार रात दो बजे मां रामश्री झोपड़ी के बाहर सो रही थी। जबकि सतीश अपने परिवार के साथ झोपड़ी के अंदर सो रहा था। इस दौरान शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी के अंदर आग लग गई।

देखते-देखते झोपड़ी आग का गोला बन गई। झोपड़ी के अंदर सो रहे दंपती और तीनों बच्चे जिंदा जल गए। सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने एक के बाद एक शवों को झोपड़ी से बाहर निकाला।

वहीं आग में परिवार को जलता देख रामश्री ने भी आग में कूदकर बचाने का प्रयास किया। इस दौरान वह भी बुरी तरह से झुलस गई। सूचना पर डीएम नेहा जैन, एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्चयड पहुंच गए। सभी शव को लोडर से जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है।

साथ ही झुलसी बुजुर्ग का इलाज भी जिला अस्पताल में चल रहा है। डीएम नेहा जैन ने बताया कि झोपड़ी में आग लगने से दंपती और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई थी। झुलसी बुजुर्ग का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं, एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है।

## जम्मू-कश्मीर में श्रद्धा जैसा कांड, पहले की महिला की हत्या; फिर शरीर के कई टुकड़े कर अलग-अलग जगहों पर फेंका

**श्रीनगर (आरएनएस)।** जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम जिले में एक महिला की हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि उसने बडगाम जिले के ओमपोरा क्षेत्र के एक कारपेंटर 45 वर्षीय शब्बीर अहमद वानी को उसी जिले के सोईबग गांव की 30 वर्षीय महिला की हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने पीड़िता के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर उन्हें अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। महिला पिछले चार दिनों से अपने घर से लापता थी। अधिकारी ने कहा, आरोपी ने खुलासा किया कि उसने महिला की हत्या की और उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और रेलवे पुल ओमपोरा और सेबडेन समेत विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया, जहां से पीड़िता के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों को कल रात बरामद किया गया।

पुलिस ने कहा, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, शव के सिर सहित बाकी हिस्से भी उसके घर से बरामद किए गए हैं और आगे की जांच जारी है।

बता दें, ऐसा ही एक और मामला सामने आ चुका है जहां दिल्ली पुलिस ने पिछले साल मई महीने में मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वॉल्कर की हत्या का खुलासा किया था। इस मामले में लडक़ी के बॉयफ्रेंड आफताब को गिरफ्तार किया गया था। जिसने श्रद्धा की हत्या कर उसके शरीर के 35 टुकड़े किए थे और उन्हें फ्रीज में रखा था। इन टुकड़ों को धीरे-धीरे आरोपी ने दिल्ली के महरौली और अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया था। आफताब ने शरीर के अंगों को काटने के लिए एक मिनी आरी का इस्तेमाल किया था।

### गिरफ्तार नहीं होंगे इमरान खान, हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए दी मोहलत

**इस्लामाबाद।** बलूचिस्तान उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सरकारी संस्थानों के विरुद्ध नफरत फैलाने के मामले में जारी गैर ज़मानती वारंट की तामील पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अपने प्रमुख के खिलाफ वारंट जारिए किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। बता दें कि हाल ही में सरकारी संस्थानों और उनके कार्यालयों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाप गुरुवार को गैर ज़मानती वारंट जारी किया गया था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने क्वेटा में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ बलूचिस्तान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और उससे गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने का आग्रह किया था।

## मुंबई एयरपोर्ट पर 1.40 करोड़ रुपये के सोने के साथ 3 गिरफ्तार

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सोने की तस्करी के आरोप में तीन विदेशी नागरिकों को सीमा शुल्क अधिकारियों ने पकड़ा है। ये आरोपी अपने अंडरगारमेंट्स में छिपाकर 1.40 करोड़ रुपये के तीन किलोग्राम सोने को ले जाने के प्रयास कर रहे थे। मामले की सूचना कस्टम के वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को दी और बताया कि गिरफ्तारियां 10 मार्च को की गई।

अधिकारी ने कहा, तीन विदेशी नागरिक आदिस अबाबा से मुंबई हवाईअड्डे पहुंचे। उन्हें खुफिया जानकारी के आधार पर रोका गया। सोना उनके अंडरगारमेंट्स और उनके जूतों के सोल में छुपाया गया था।

अधिकारी ने कहा कि सोने को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया और यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्हें एक अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

## केंद्र ने किया समलैंगिक विवाह का विरोध, सुप्रीमकोर्ट में कहा- भारतीय लोकाचार के अनुरूप नहीं ऐसी शादियां

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की दलीलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पार्टनर के रूप में एक साथ रहना और समलैंगिक व्यक्तियों द्वारा यौन संबंध बनाना, जिसे अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, भारतीय परिवार इकाई एक पति, एक पत्नी व उनसे पैदा हुए बच्चों के साथ तुलनीय नहीं है। केंद्र ने जोर देकर कहा कि समलैंगिक विवाह सामाजिक नैतिकता और भारतीय लोकाचार के अनुरूप नहीं है।

एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा कि शादी की धारणा ही अनिवार्य रूप से विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध को मानती है। यह परिभाषा सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से विवाह के विचार और अवधारणा में शामिल है और इसे न्यायिक व्याख्या से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

हलफनामे में कहा गया है कि विवाह संस्था और परिवार भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारे समाज के सदस्यों को सुरक्षा, समर्थन और सहयोग प्रदान करती हैं और बच्चों के पालन-पोषण और उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक पालन-पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

केंद्र ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

हलफनामे में कहा गया है कि सामाजिक नैतिकता के विचार विधायिका की वैधता पर विचार करने के लिए प्रासंगिक हैं और आगे, यह विधायिका के लिए है कि वह भारतीय लोकाचार के आधार पर ऐसी सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वीकृति का न्याय करे और उसे लागू करे।

केंद्र ने कहा कि एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच विवाह या तो व्यक्तिगत कानूनों या संहिताबद्ध कानूनों के तहत होता है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या विदेशी विवाह अधिनियम, 1969।

यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय वैधानिक और व्यक्तिगत कानून शासन में विवाह की विधायी समझ बहुत विशिष्ट है। केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच विवाह, यह कहा।

इसमें कहा गया है कि विवाह में शामिल होने वाले पक्ष एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं, जिसका अपना सार्वजनिक महत्व होता है, क्योंकि यह एक सामाजिक संस्था है, जिससे कई अधिकार और दायित्व प्रवाहित होते हैं।

हलफनामे में कहा गया है, शादी के अनुष्ठान/पंजीकरण के लिए घोषणा की मांग करना साधारण कानूनी मान्यता की तुलना में अधिक प्रभावी है। पारिवारिक मुद्दे समान लिंग से संबंधित व्यक्तियों के बीच विवाह की मान्यता और पंजीकरण से परे हैं।

केंद्र की प्रतिक्रिया हिंदू विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम और अन्य विवाह कानूनों के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आई कि वे समान लिंग वाले जोड़ों को विवाह करने से वंचित करते हैं।

केंद्र ने कहा कि हिंदुओं के बीच, यह एक संस्कार है, एक पुरुष और एक महिला के बीच पारस्परिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए एक पवित्र मिलन और मुसलमानों में, यह एक अनुबंध है, लेकिन फिर से केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच ही परिकल्पित किया जाता है। इसलिए, धार्मिक और सामाजिक मानदंडों में गहराई से निहित देश की संपूर्ण विधायी नीति को बदलने के लिए शीर्ष अदालत की रिट के लिए प्रार्थना करने की अनुमति नहीं होगी।

केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी समाज में, पार्टियों का आचरण और उनके परस्पर संबंध हमेशा व्यक्तिगत कानूनों, संहिताबद्ध कानूनों या कुछ मामलों में प्रथागत कानूनों/धार्मिक कानूनों द्वारा शासित और परिचालित होते हैं। किसी भी राष्ट्र का न्यायशास्त्र, चाहे वह संहिताबद्ध कानून के माध्यम से हो या अन्यथा, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, सांस्कृतिक इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर विकसित होता है और विवाह, तलाक, गोद लेने, रखरखाव, आदि जैसे व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित मुद्दों के मामले में या तो इसमें कहा गया है कि संहिताबद्ध कानून या पर्सनल लॉ क्षेत्र में व्याप्त है।